बरसाना में 23 से 26 तक रहेगी नो-एंट्री

सीमा से बाहर 58 स्थलों पर रोके जाएंगे वाहन

संवाद न्यूज एजेंसी

बरसाना। विश्व प्रसिद्ध लठामार होली का उत्सव आते ही भक्तों और श्रद्धालुओं का सैलाब राधा रानी की नगरी में उमड़ पड़ता है। देश-विदेश के लाखों श्रद्धालु यहां उत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं। प्रशासन ने भी आयोजन को लेकर अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इस बार प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 23 से 26 फरवरी तक बरसाना में किसी भी वाहन का प्रवेश नहीं होगा। पूरे कस्बे में नो एंट्री लागू की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि नगर सीमा के बाहर कुल 58 अस्थायी पार्किंग स्थल तैयार किए गए हैं। व्यवस्था को चार प्रमुख सेक्टरों में विभाजित किया गया है ताकि किसी एक मार्ग पर अत्यधिक दबाव न बने। नंदगांव रोड सेक्टर में सबसे अधिक 18 पार्किंग बनाई गई हैं। दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी दिशा से आने वाले वाहनों को इसी सेक्टर में रोका जाएगा। बड़े खुले मैदानों और चिह्नित भूखंडों को समतल कर पार्किंग स्थल बनाया गया है। गोवर्धन रोड सेक्टर में 16 पार्किंग चिह्नित की गई हैं। मथुरा और गोवर्धन की ओर से आने वाले वाहन नगर सीमा से पहले इन स्थलों पर खड़े कराए जाएंगे।

कामा रोड सेक्टर में 12 पार्किंग तैयार की गई हैं, जहां राजस्थान की ओर से आने वाले वाहनों को रोका जाएगा। छाता रोड और अन्य संपर्क मार्गों पर 12 अतिरिक्त पार्किंग बनाई गई हैं, जिससे स्थानीय और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले वाहनों को खड़ा कराया जाएगा। सभी पार्किंग स्थलों पर पुलिस, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी निगरानी, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल और प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। पार्किंग से आगे श्रद्धालु पैदल ही बरसाना की ओर बढ़ेंगे। नगर में चार दिनों तक यही व्यवस्था लागू रहेगी।

श्री राधावल्लभ लाल मंदिर में होली का उत्सव मनाते श्रद्धालु। संवाद

राधादामोदर मंदिर में उड़ा गुलाल, झूमे भक्त

वृंदावन। ठाकुर राधादामोदर मंदिर में सेवायतों ने शुक्रवार को श्रद्धालुओं पर जैसे ही प्रसादी गुलाल उड़ाया वह खुशी से झूम उठे। श्रद्धालुओं ने मंदिर में मनोहरी नृत्य किया गया। मंदिर परिसर राधा-कृष्ण के जयकारों और अबीर-गुलाल से सराबोर हो गया। मंदिर के सेवायत आचार्य तरुण गोस्वामी और निताई गोस्वामी ने ठाकुरजी के चरणों से स्पर्श कराया प्रसादी गुलाल और फूलों की वर्षा भक्तों पर की। आराध्य का आशीर्वाद रूपी गुलाल पाकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे। ब्रजवासी महिलाओं ने होली के विशेष पदों और भजनों का गायन किया। राधावल्लभ लाल मंदिर में भी आयोजन हुआ। संवाद

मचानों से भीड़ नियंत्रित करेंगे पुलिसकर्मी

मथुरा। वृंदावन में रंगभरनी एकादशी पर होली पर उमड़ने वाले श्रद्धालुओं के हुजूम को नियंत्रित करने के लिए 15-15 फुट ऊंचे मचान बनाए जाएंगे। इन मचान पर तैनात पुलिसकर्मी लाउडस्पीकर से उद्घोषणा करेंगे और भीड़ को नियंत्रित करेंगे। इसके अलावा वॉच टावरों से भी निगरानी की जाएगी। एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि बरसाना के बाद रंगभरनी एकादशी पर बांकेबिहारी मंदिर में होने वाली होली के लिए सबसे ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इसके लिए सुरक्षा का व्यापक प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम स्थापित होगा। सीसीटीवी कैमरों के साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए जाएंगे, जोकि श्रद्धालुओं की भीड़ को एक जगह एकत्रित होने से रोकेंगे। इसके अलावा गुंडा दमन दल के सुरक्षाकर्मी अराजक तत्वों पर नजर रखेंगे और कार्रवाई करेंगे। संवाद

स्वर्ण और रजत पिचकारी से केसरिया रंग बरसाएंगे ठाकुरजी

संवाद न्यूज एजेंसी

वृंदावन। ब्रज मंडल में वसंत पंचमी से शुरू हुए 41 दिवसीय मदनोत्सव के तहत विभिन्न धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध श्रीबांकेबिहारी मंदिर में 27 फरवरी से 2 मार्च तक रंगीली होली महोत्सव आयोजित किया जाएगा।

मंदिर के सेवायत इतिहासकार आचार्य प्रहलाद बल्लभ गोस्वामी ने बताया कि रंगभरनी एकादशी (27 फरवरी) से चतुर्दशी (2 मार्च) तक ठाकुरजी स्वर्ण-रजत पिचकारी से केसरिया रंग बरसाएंगे। प्रतिदिन दोनों समय विशेष भोग अर्पित किए जाएंगे। इनमें ठंडाई, चाट और जलेबी शामिल रहेंगी। इस दौरान ठाकुरजी को सफेद वस्त्र धारण कराए जाएंगे। रंगभरनी एकादशी और पूर्णिमा पर श्रद्धालु वृंदावन की पंचकोसीय परिक्रमा करेंगे और यमुना स्नान करेंगे।

3 मार्च को पूर्णिमा पर चंद्रग्रहण होने के कारण इस बार पांच दिन चलने वाला रंगोत्सव चार दिन ही मनाया जाएगा।

3 मार्च को डोलोत्सव (दुल्हेंडी) मनाया जाएगा। इस दिन ठाकुरजी गुलाबी पोशाक और रत्नजड़ित आभूषण धारण कर महाराजा स्वरूप में दर्शन देंगे। भगवान को छप्पन भोग और 36 प्रकार के व्यंजन अर्पित किए जाएंगे।

कॉरिडोर के लिए आगे आ रहे लोग, 4 और ने कराई रजिस्ट्री

मथुरा। ठाकुर श्रीबांकेबिहारी मंदिर के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण की कवायद तेज हो गई है। लंबे समय से चल रही प्रशासनिक प्रक्रियाओं और स्थानीय निवासियों के साथ संवाद के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। इस सप्ताह चार लोगों ने कॉरिडोर में आने वाली जमीनों की रजिस्ट्री कराई है।

अब तक कुल 10 लोगों ने कराई रजिस्ट्री

अब तक कुल 10 लोगों ने रजिस्ट्री कराई है। वहीं दर्जनभर लोग रजिस्ट्री कराने की कतार में हैं। प्रदेश सरकार की काशी विश्वनाथ, अयोध्या की तर्ज पर वृंदावन में श्रीबांकेबिहारी मंदिर के लिए भव्य कॉरिडोर निर्माण की मंशा है। एडीएम एफआर डॉ. पंकज वर्मा ने बताया कि चार लोगों ने जमीन की रजिस्ट्री कराई है। डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने कहा कि मंदिर के आसपास जनसुविधाओं के विकास, निर्माण के लिए भूमि क्रय की कार्रवाई पारदर्शिता के हिसाब से की जा रही है। संवाद

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

आंचलिक कार्यालय : प्लॉट नं. एच-2, ताज नगरी फेज 2, फतेहाबाद रोड, आगरा

ई-नीलामी 25.03.2026

चल/अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

ई-नीलामी की तारीख और समयः 25.03.2026, सुबह 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक, बंद होने से पहले आखिरी 10 मिनट में बोली लगने पर ऑटो एक्सटेंशन क्लॉज के साथ।

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत चल/अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, नियम 8(6) और 6(2), 9(1) के प्रावधान के साथ पढ़ा जाए सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002.

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित (चल और अचल संपत्ति/ संपत्तियां) जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी/ बंधक/ गिरवी रखी गई हैं, जिसका रचनात्मक/ भौतिक कब्जा बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित लेनदार) के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे 25.03.2026 को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है वैसा है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जाएगा।

क्र. नं.	ऋणी एवं गारंटर का नाम एवं पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण
	शाखाः आगरा (सम्पर्कः 9011940740)	
1.	ऋणीः श्री नीरज कुमार पुत्र महेश चंद (ऋणी – बंधककर्ता), पताः मकान नं. 27, ग्राम जनारा बमरौली कटारा किरौली, आगरा, उत्तर प्रदेश 282006. गारंटरः श्री राजेंद्र शर्मा पुत्र लक्ष्मी नारायण, पताः 319, चमरौली मोड़, शमशाबाद रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश 282001. बकाया राशिः रू. 12,56,550.28 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो	संपत्तिः आवासीय संपत्ति, मकान नं. 73 का साम्यिक बंधक भाग, नालंदा आशियाना ख. संख्या 25 और 208, मौजा नौबरी/ राजराय, आगरा, क्षेत्रफल 43.48 वर्ग मीटर, मालिक का नाम श्री नीरज कुमार। विक्रय विलेख के अनुसार चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 74, पश्चिमः रास्ता 6 मीटर चौड़ा और निकास, उत्तरः प्लॉट नं. 72, दक्षिणः रास्ता 9 मीटर चौड़ा और निकास। आरक्षित मूल्यः 13,65,000/- | अग्रिम धनराशिः 1,36,500/- | सांकेतिक
	शाखाः ताज पावर ग्रिड (सम्पर्कः 8208088169)	
2.	ऋणीः श्री राम बाबू पुत्र श्री समरी लाल, मकान नं. 38-के, मोहनपुर कमला नगर, आगरा, उ.प्र. 282005. सह-ऋणी और बंधककर्ताः श्रीमती पुष्पा देवी, पत्नी श्री राम बाबू, मकान नं. 38-के, मोहनपुर कमला नगर, आगरा, उ.प्र. 282005. बकाया राशिः रू. 17,22,131.17 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो	आवासीय सम्पत्ति का साम्यिक बंधक, खसरा नंबर 111, 112/2, 112/1 और 113 का भाग, मनोहरपुर, पवासन (कर्मयोगी के पास), बालकेश्वर रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश, 282005, जिसका क्षेत्रफल 200.00 वर्ग मीटर जोकि श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री राम बाबू के नाम पर स्थित है। चौहद्दीः पूर्वः रास्ता 9 मीटर चौड़ा, पश्चिमः सोसायटी की जमीन, उत्तरः सोसायटी की जमीन, दक्षिणः सोसायटी की जमीन। आरक्षित मूल्यः 48,64,000/- | अग्रिम धनराशिः 4,86,400/- | सांकेतिक
	शाखाः दयाल बाग (सम्पर्कः 7017572897)	
3.	1. चंद्रवती देवी पत्नी नरेंद्र कुमार, मकान नंबर 91ए/बी, चंद्र नगर, टेढ़ी बगिया, नराइच, आगरा, उत्तर प्रदेश 282005. 2. नरेंद्र कुमार पुत्र राम सहाय, मकान नंबर 91ए/बी, चंद्र नगर, टेढ़ी बगिया, नराइच, आगरा, उत्तर प्रदेश 282006. बकाया राशिः रू. 4,16,958.46 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो	सम्पत्तिः सम्पत्ति का साम्यिक बंधक, मकान नं. 91ए/बी, चंद्र नगर, टेढ़ी बगिया, नराइच आगरा, उत्तर प्रदेश 282005, मालिक श्रीमती चंद्रावती देवी पत्नी नरेंद्र कुमार के नाम पर स्थित है। क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर। चौहद्दीः पूर्वः सम्पत्ति नंबर 92, पश्चिमः प्लॉट नंबर 91 का भाग, उत्तरः सम्पत्ति नंबर 89, दक्षिणः रास्ता 40 फीट चौड़ा। आरक्षित मूल्यः 32,96,000/- | अग्रिम धनराशिः 3,29,600/- | सांकेतिक
	शाखाः ताज बुलंद (सम्पर्कः 8979962200)	
4.	1. स्वर्गीय श्री सतीश कुमार पुत्र श्री छोटे लाल (ऋणी) की संपत्ति के कानूनी वारिसों द्वारा श्रीमती रमा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री सतीश कुमार (व्यक्तिगत क्षमता में, साथ ही नाबालिग कानूनी वारिसों की नैचुरल गार्जियन) पताः नई आबादी, महादेव नगर, राजेश्वर मंडी, शमशाबाद रोड, आगरा 282001. श्री राम गोपाल पुत्र श्री चंद (जमानतकर्ता), पताः नई आबादी, महादेव नगर, राजेश्वर मंडी, शमशाबाद रोड, आगरा 282001. बकाया राशिः रू. 12,73,721.86 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो	सम्पत्ति विवरणः आवासीय मकान खसरा नं. 13 का भाग, नई आबादी, महादेव नगर, राजेश्वर मंडी, शमशाबाद रोड, आगरा 282001, जिसका क्षेत्रफल 41.80 वर्ग मीटर, जोकि श्री सतीश कुमार पुत्र श्री छोटे लाल के नाम पर स्थित है। चौहद्दीः उत्तरः राजेश का प्लॉट, दक्षिणः दूसरों का प्लॉट, पूर्वः रास्ता 5.4 मीटर चौड़ा, पश्चिमः जौहर खान का प्लॉट। आरक्षित मूल्यः 11,54,000/- | अग्रिम धनराशिः 1,15,450/- | सांकेतिक
	शाखाः कमला नगर (सम्पर्कः 8650568665)	
5.	श्री सुखपाल सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह (ऋणी-बंधककर्ता)। श्रीमती बलजीत कौर भोजवानी पुत्र सुखपाल सिंह (सह-ऋणी – बंधककर्ता)। पताः फ्लैट नंबर एस-9, द्वितीय तल, बलदेव आशियाना फ्लोर, महर्षिपुरम, तहसील और जिला आगरा –282007. बकाया राशिः रू. 27,17,763.89 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो	सम्पत्तिः फ्लैट नंबर एस-9, द्वितीय तल, बलदेव आशियाना फ्लोर, महर्षिपुरम, तहसील और जिला आगरा, उत्तर प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल 125.41 वर्ग मीटर जोकि श्री सुखपाल सिंह और श्रीमती बलजीत कौर भोजवानी के नाम पर स्थित है। चौहद्दीः पूर्वः फ्लैट नंबर एस-10, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति, उत्तर- कॉमन रास्ता और गेट, दक्षिण- फ्लैट नंबर एस-08. आरक्षित मूल्यः 34,85,000/- | अग्रिम धनराशिः 3,48,500/- | सांकेतिक
	शाखाः मारुति स्टेट (सम्पर्कः 9457845440)	
6.	श्री वीरेंद्र सिंह पुत्र श्री समर सिंह (ऋणी-बंधककर्ता) पता 1: 75बी/1 कावेरी कुंज फेज-2 कमला नगर, आगरा 282005. सह-ऋणीः श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री वीरेंद्र सिंह। पता 1: 75बी/1 कावेरी कुंज फेज-2 कमला नगर, आगरा 282005. बकाया राशिः रू. 14,90,473.00 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो	सम्पत्तिः आवासीय फ्लैट, फ्लैट नंबर 203, द्वितीय तल, राधा कृष्ण अपार्टमेंट्स, राधा विहार, हरीपर्वत वार्ड, कमला नगर, आगरा 282005, जिसका क्षेत्रफल 102.18 वर्ग मीटर, श्री वीरेंद्र सिंह पुत्र समर सिंह के नाम पर स्थित है। चौहद्दीः उत्तरः कॉरिडोर और एग्जिट, दक्षिणः ओपन टू स्काई, पूर्वः फ्लैट नंबर 204, पश्चिमः फ्लैट नंबर 202. आरक्षित मूल्यः 24,81,000/- | अग्रिम धनराशिः 2,48,100/- | सांकेतिक
	शाखाः सिकंदरा राव (सम्पर्कः 9411237415)	
7.	ऋणीः मैसर्स विशाल डेयरी, प्रोप. श्रीमती कमलेश यादव (ऋणी-बंधककर्ता)। पताः नगला लाला शिव कॉलोनी ईदगाह रोड सिकंदरा राव उत्तर प्रदेश 204215. ऋणीः श्रीमती कमलेश यादव (प्रोप. मैसर्स विशाल डेयरी) (ऋणी-बंधककर्ता), पताः नगला लाला शिव कॉलोनी ईदगाह रोड सिकंदरा राव, उत्तर प्रदेश 204215. बकाया राशिः रू. 23,74,642.44 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो	सम्पत्तिः सम्पत्ति का साम्यिक बंधक, 251/1, खसरा नंबर 1253 का भाग, शिव कॉलोनी ईदगाह रोड (नगर पालिका परिषद सिकंदराराव के तहत) क्वासा और तहसील सिकंदराराव जिला हाथरस उ.प्र. 204215. विक्रय विलेख के अनुसार चौहद्दीः पूर्वः श्री चंद्र पाल का घर, पश्चिमः रास्ता 12 फीट, उत्तरः श्यामवीर का प्लॉट, दक्षिणः उदयवीर सिंह का घर। आरक्षित मूल्यः 18,47,000/- | अग्रिम धनराशिः 1,84,700/- | सांकेतिक
	शाखाः भूतेश्वर रोड (सम्पर्कः 7500770578)	
8.	1. मैसर्स अग्रवाल मेडिकल एजेंसी (प्रोप. बृज मोहन अग्रवाल) पता– दुकान नंबर 6, यादव मार्केट, आर्य समाज रोड, मथुरा। 2. श्री बृज मोहन अग्रवाल (प्रोपराइटर-बंधककर्ता) पता–1560, अंतापाड़ा, शंकर मिठाई वाले के पीछे, होली गेट, मथुरा –281001. 3. श्रीमती सावित्री अग्रवाल (जमानतकर्ता-बंधककर्ता) 1560, अंतापाड़ा, शंकर मिठाई वाले के पीछे, होली गेट, मथुरा – 281001. बकाया राशिः रू. 27,12,876.44 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो	अचल सम्पत्ति का साम्यिक बंधक, दुकान नंबर 6, भू-तल, यादव कॉम्प्लेक्स, अंदरून मोहल्ला अंतापाड़ा, आर्य समाज रोड, तहसील और जिला मथुरा, जोकि श्री बृज मोहन अग्रवाल और श्रीमती सावित्री देवी के नाम पर स्थित है। क्षेत्रफल – 9.29 वर्ग मीटर। कॉमर्शियल सम्पत्ति, चौहद्दीः पूर्वः गली जोगियां, पश्चिमः दुकान का गेट और गैलरी मार्केट 8 फीट, उत्तरः प्राइवेट दुकान नंबर 05, दक्षिणः प्राइवेट दुकान नंबर 07. आरक्षित मूल्यः 26,49,000/- | अग्रिम धनराशिः 2,64,900/- | सांकेतिक
	शाखाः अकबरपुर रोड़ (सम्पर्कः 9782275751)	
9.	श्री पूरन लाल शर्मा पुत्र खिल्ली राम (ऋणी) श्रीमती राधा देवी पत्नी पूरन लाल शर्मा (सह-ऋणी-बंधककर्ता)। श्री दिनेश चंद शर्मा पुत्र पूरन लाल शर्मा (सह-ऋणी) पता–प्लॉट नंबर 31 का 1/2 भाग, वाटर टैक्स नंबर 1112/ए, आर्य नगर, कोसी कलां, तहसील छाता, जिला मथुरा। बकाया राशिः रू. 10,28,221.68 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो	सम्पत्तिः प्लॉट नंबर 31 का 1/2 भाग, वाटर टैक्स नंबर 1112/ए, आर्य नगर, कोसी कलां, तहसील छाता, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश, 140 वर्ग मीटर, जोकि श्रीमती राधा देवी पत्नी पूरन लाल शर्मा के नाम पर स्थित है। चौहद्दीः पूर्वः गली, पश्चिमः रास्ता, उत्तरः रेनू देवी का प्लॉट, दक्षिण- जवाहर लाल का घर। आरक्षित मूल्यः 69,89,000/- | अग्रिम धनराशिः 6,98,900/- | सांकेतिक
	शाखाः न्यू आगरा (सम्पर्कः 9917079200)	
10.	ऋणीः श्री राकेश कुमार पुत्र दाऊ दयाल (बंधककर्ता), पता 1: 37/411, नगला पाडी, सिंधी हवेली, वार्ड नं. 25, नगला पाडी, नगर निगम, आगरा 282005. सह-ऋणीः श्री गोविंद पुत्र राकेश कुमार, पता 1: 37/411, नगला पाडी, सिंधी हवेली, वार्ड नं. 25, नगला पाडी, नगर निगम, आगरा 282005. जमानतकर्ताः श्री कान्हा पुत्र राकेश कुमार, पता 1: 37/411, नगला पाडी, सिंधी हवेली, वार्ड नं. 25, नगला पाडी, नगर निगम, आगरा 282005. बकाया राशिः रू. 18,72,002.89 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो	सम्पत्तिः सम्पत्ति प्लॉट नं. 5, नगर निगम नंबर 38/बीबी/5ए, नगला बुदी, भोपत बाग कॉलोनी, हैपर्वत वार्ड, तहसील और जिला– आगरा उ.प्र., जिसका क्षेत्रफल 80.26 वर्ग मीटर जोकि श्री राकेश कुमार पुत्र दाऊ दयाल के नाम पर स्थित है। चौहद्दीः उत्तरः अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति, दक्षिणः रास्ता 3.03 मीटर चौड़ा और सतीश अग्रवाल का घर, पूर्व– पप्पू ठेकेदार का घर, पश्चिम– सतीश अग्रवाल का घर। आरक्षित मूल्यः 23,80,000/- | अग्रिम धनराशिः 2,38,000/- | सांकेतिक
	शाखाः कुसमरा (सम्पर्कः 8561062389)	
11.	श्री सुनील कुमार पुत्र रामदेव यादव (ऋणी), यादव नगर, कुसमरा तहसील और जिला मैनपुरी। श्रीमती दीप्ति यादव पत्नी श्री सुनील कुमार (जमानतकर्ता), यादव नगर, कुसमरा तहसील और जिला मैनपुरी। बकाया राशिः रू. 32,46,566.29+ ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो	सम्पत्ति का साम्यिक बंधक मौजा हुसैनपुर, चौ. सुंदरलाल महाविद्यालय राम नगर रोड के अंदर, कुसमरा तहसील किशनी जिला मैनपुरी में जिसका क्षेत्रफल 116.00 वर्ग मीटर जोकि श्री सुनील कुमार पुत्र रामदेव यादव के नाम पर स्थित है। चौहद्दीः उत्तरः ग्राम समाज का खेत नंबर 191, दक्षिणः चौ. सुंदरलाल महाविद्यालय, पूर्वः चौ. सुंदरलाल महाविद्यालय, पश्चिमः रामनगर रोड से कॉलेज तक का रास्ता फिर इंट भट्टा। आरक्षित मूल्यः 47,85,000/- | अग्रिम धनराशिः 4,78,500/- | सांकेतिक
12.	1. पवन देव सिंह पुत्र सतेंद्र सिंह (उधारकर्ता), पता परसरामपुर पोस्ट इलाबाश जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश 205302. 2. कपिल देव सिंह पुत्र सतेंद्र सिंह (जमानतकर्ता), पता परसरामपुर पोस्ट इलाबाश जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश 205302. बकाया राशिः रू. 27,55,596.11+ ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो	सम्पत्ति का साम्यिक बंधक प्लॉट नंबर– 327(एम) गांव हरचंदपुर, नेरा मैनपुरी–कुसमरा रोड, मां वैष्णो गार्डन के सामने, तहसील किशनी, जिला मैनपुरी में है, जिसका क्षेत्रफल 84.00 वर्ग मीटर जोकि पवन देव सिंह पुत्र सतेंद्र सिंह के नाम पर स्थित है। चौहद्दीः उत्तरः पवन चौहान का प्लॉट, दक्षिणः संतोष का प्लॉट, पूर्वः कांशीराम योजना मार्ग, पश्चिमः खुली जमीन। आरक्षित मूल्यः 12,82,000/- | अग्रिम धनराशिः 1,28,200/- | सांकेतिक

नीलामी की दिनांक 25.03.2026 को समय प्रातः 11:00 से दोपहर 05:00 बजे तक

नियम और शर्ते 1. यह ई-नीलामी पीएसबी अलायंस द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com के माध्यम से आयोजित की जा रही है। 2. नीलामी में भाग लेने के लिए, बोलीदाताओं को वेबसाइट पर अपना नाम, पता, संपर्क विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित सटीक और पूर्ण जानकारी प्रदान करके पंजीकरण करना होगा। 3. बोलीदाताओं के पास वैध पैन कार्ड और आधार कार्ड होना अनिवार्य है। 4. सफल पंजीकरण के बाद बोलीदाता को प्रत्येक संपत्ति के लिए निर्धारित बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी। नीलामी के बाद असफल बोलीदाताओं को ईएमडी वापस कर दी जाएगी। 5. बोली लगाने वाले निर्धारित नीलामी अवधि के दौरान संपत्ति पर बोली लगा सकते हैं। 6. नीलामी अवधि के अंत में उच्चतम बोली लगाने वाला ही विजेता घोषित किया जाएगा और इस संबंध में सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी की जाएगी, जो बैंक के अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगी। विजेता को बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत उसी दिन या अगले कार्य दिवस तक (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) जमा करना होगा। बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर शेष राशि जमा करनी होगी, अन्यथा बैंक क्रेता द्वारा पहले से भुगतान/जमा की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर लेगा। भुगतान मतान में चूक होने पर संपत्ति दूसरे उच्चतम बोली लगाने वाले को दी जा सकती है या पुनर्विक्रय की जा सकती है और चूक करने वाले क्रेता का कोई दावा नहीं होगा। संपत्ति पर देय सभी वैधानिक और अन्य शुल्क क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। 7. यदि किसी भी कारण से बिक्री की पुष्टि नहीं होती है या उसे रद्द कर दिया जाता है, तो बोली लगाने वाले को बिक्री से संबंधित सभी आकस्मिक खर्चों का वहन करना होगा और क्रेता/बोली लगाने वाला किसी भी प्रकार के मुआवजे या हर्जाने का दावा करने का हकदार नहीं होगा। 8. इच्छुक पक्ष/बोलीदाता अधिक जानकारी के लिए बैंक ऑफ इंडिया के अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 9. संपत्ति की बिक्री के संबंध में बैंक / अधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद होगा। बैंक बिना कोई कारण बताए बिक्री को रद्द/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 10. संपूर्ण विक्रय मूल्य के भुगतान और विक्रय संबंधी औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर, सफल क्रेता/बोलीदाता को विक्रय प्रमाण पत्र सरफेसी नियम में निर्धारित प्रारूप के अनुसार) जारी किया जाएगा। सफल क्रेता को विक्रय प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिए सभी मौजूदा/पूर्व/भविष्य के कर और शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, आकस्मिक व्यय आदि वहन करने होंगे। 11. यह सूचना उपरोक्त उधारकर्ताओं/गिरवीदारों/गारंटरों को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8 (6)/6(2)/9 (1) के तहत भी दी गई सूचना है। 12. बोली लगाने वाले अपनी पसंद के स्थान से ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था बोली लगाने वाले को स्वयं करनी होगी, बैंक सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश, बिजली गुल होने आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। 13. इच्छुक बोलीदाताओं को बैंक के शुल्कों के अलावा किसी भी प्राधिकरण द्वारा संपत्ति पर किसी भी दावे, शुल्क और भार के संबंध में सावधानीपूर्वक पूछताछ करनी चाहिए और अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, विस्तार, गुणवत्ता और मात्रा के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए। 14. यदि उधारकर्ता बिक्री की तारीख से पहले बैंकों को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है, तो नीलामी को रोका/ रद्द किया/वापस लिया जा सकता है। 15. यह बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम-2002 में निर्धारित शर्तों और इस संबंध में भारत सरकार के निर्देशों के अनुसरण में बैंकों के दिशानिर्देशों के अधीन होगी। 16. संयुक्त भूखंड के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी और संयंत्र और मशीनरी के लिए बोली पर तभी विचार किया जाएगा जब भूमि और भवन के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं होगी। 17. बोली की कीमत आरक्षित मूल्य से अधिक होनी चाहिए और बोलीदाता को भविष्य में अपनी पेशकश को 10,000 रुपये के गुणक में सुधारना होगा। 18. यदि किसी लॉट की अंतिम बोली राशि 50 लाख रुपये से अधिक है, तो नीलामी खरीदार को बैंक को अंतिम भुगतान करते समय आयकर अधिनियम की धारा 194 आईए के अनुसार अचल संपत्ति के विक्रय मूल्य का 1प्रतिशत टीडीएस (वजन कटौती) काटकर आयकर विभाग को बैंक ऑफ इंडिया पैन नंबर AAACB0472C के नाम से जमा करना होगा और बैंक को चालान / करदाता की प्रतिप्रतिलिपि और फॉर्म 26qb अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। खरीदार को अन्य सभी लागू वैधानिक कर, देय राशि, पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, संपत्ति कर, सोसायटी शुल्क और अन्य सभी समान शुल्क भी वहन करने होंगे। 19. अंग्रेजी संस्करण और स्थानीय भाषा के संस्करण में किसी भी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को प्राथमिकता दी जाएगी। 20. बोलीदाताओं को ई-नीलामी के दिन ऑनलाइन बोली जमा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। किसी भी स्थिति में, एक बार बोली जमा हो जाने पर बोलीदाता जमा की गई राशि के लिए बाध्य होगा / होंगी और किसी भी अनुरोध / संवाद पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के अन्तर्गत 30 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना

उधारकर्ता / गारंटरों को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त रराशि का भुगतान अद्यतन ब्याज और अन्य संबंधित खर्चों सहित ई-नीलामी की तिथि से पहले कर दें। अन्यथा, सम्पत्ति की नीलामी / बिक्री कर दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि हो तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांक 21.02.2026

प्राधिकृत अधिकारी

रमणरेती में आज ठाकुरजी भक्तों के साथ खेलेंगे होली

मथुरा। कार्ष्णि उदासीन रमणरेती आश्रम में आज रंगोत्सव मनाया जाएगा। यहां भक्त राधा-कृष्ण के स्वरूपों के साथ फूल और अबीर-गुलाल उड़ाकर होली खेलेंगे। रंगोत्सव के लिए 10 हजार लीटर टेसू का रंग, दो किलो चंदन, छह क्विंटल फूल और छह क्विंटल गुलाल की व्यवस्था की गई है। शनिवार सुबह 10 बजे पदों के गायन से रंगोत्सव की धूम मचेगी। भक्त भाव-विभोर होकर झूमेंगे। रंगोत्सव में पीठाधीश्वर कार्ष्णि गुरु शरणानंद महाराज भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान बृज कला संस्थान द्वारा श्रीकृष्ण लीला का मंचन किया जाएगा। इसमें लठामार, लड्डू मार, फूलों और रंग-गुलाल की होली शामिल रहेगी। हजारों की संख्या में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए आश्रम में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। इधर शुक्रवार को गोकुल बैराज से लेकर रमणरेती आश्रम तक मार्ग पर सफाई अभियान चलाया गया। महावन क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर करीब 40 सफाई कर्मी दिनभर सफाई कार्य में लगे रहे। सड़कों और सार्वजनिक स्थलों से कूड़ा-करकट साफ किया। संवाद

कार्ष्णि गोपाल जयंती कार्यक्रम में शुक्रवार को भव्य डोला निकाला

एटा : सीजीएसटी छापे के दौरान सरिया व्यापारी को हार्ट अटैक

सीजीएसटी की टीम व व्यापारियों में होती नोंकझोंक। संवाद

एटा। जीटी रोड स्थित विजय हार्डवेयर स्टोर पर शुक्रवार को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) की टीम ने छापा मारा। टीम ने अभिलेखों और स्टॉक की जांच करने का प्रयास किया। यह देखकर दुकान मालिक विजय जैन की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हालत गंभीर होने पर परिजन और स्थानीय लोग उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी ले गए जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने नाजुक स्थिति को देखते हुए आगरा रेफर कर दिया। वहीं सीजीएसटी टीम की ओर जांच की कार्रवाई जारी रखी गई।

व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अतुल राठी ने बताया कि शुक्रवार की सुबह सीजीएसटी विभाग की टीम जीटी रोड स्थित विजय हार्डवेयर स्टोर पर पहुंची। यहां छापा मारते हुए सरिया कारोबार से जुड़े दस्तावेज की जांच शुरू की। इसी बीच दुकान मालिक विजय जैन को सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई और वह अचानक गिर पड़े।

मौके पर मौजूद लोगों ने एंबुलेंस के माध्यम से मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचाया। सूचना मिलते ही भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी अस्पताल पहुंच गए। चिकित्सक ने बताया कि मरीज की हालत गंभीर है। बेहतर उपचार के लिए आगरा रेफर किया गया है।

छापा मारने के समय सीजीएसटी की टीम के साथ कई पुलिस अधिकारी भी थे। इनमें प्रमुख रूप से सीओ यातायात संजय सिंह, सीओ सदर संकल्पदीप कुशवाहा, कोतवाली नगर प्रभारी प्रेमपाल सिंह मौजूद रहे। संवाद

सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस टीम के साथ व्यापारी के यहां गए। इस दौरान व्यापारियों और टीम के बीच कुछ कहासुनी भी हो गई। इसी बीच व्यापारी को हार्ट अटैक आ गया। जिनको उपचार के लिए आगरा भेजा गया है।
–संकल्पदीप कुशवाहा, सीओ सदर